



पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स- 0771-2262818, 2262607

क्रमांक: 7467 / अका./ का.प./ 2018

रायपुर, दिनांक: 30/10/2018

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बयालीसवीं बैठक गुरुवार, दिनांक 25.10.2018 को अपराह्न 03:00 बजे कुलपति सचिवालय के बैठक-कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए:

प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति – अध्यक्ष

1. डॉ. बशीर हसन	– सदस्य	8. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट	– सदस्य
2. डॉ. एच.के. पाठक	– सदस्य	9. डॉ. बी.एल. तिवारी	– सदस्य
3. डॉ. श्रीकांत कमलाकांत पांडेय	– सदस्य	10. श्री नरेश चन्द्र गुप्ता	– सदस्य
4. डॉ. सोम कुमार चटर्जी	– सदस्य	11. डॉ. लक्ष्मीकांत भारती	– सदस्य
5. डॉ. चन्द्रशेखर चौबे	– सदस्य	12. श्री सत्यनारायण शर्मा	– सदस्य
6. डॉ. नरेन्द्र पटनायक	– सदस्य	13. डॉ. (श्रीमती) वासु वर्मा	– सदस्य
7. श्री एस.के. चक्रवर्ती	– सदस्य	14. डॉ. (श्रीमती) स्वर्णलता सराफ	– सदस्य
		15. डॉ. संजय कुमार	– सदस्य

डॉ. संदीप वनसूत्रे, कुलसचिव – सचिव

कार्यवृत्त :

- विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 18.09.2018 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।
निर्णय : कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.09.2018 के बिन्दु क्रमांक 4 में लिये गए निर्णय में आंशिक संशोधन किया गया तदनुसार उपरोक्त आदेश के क्रियान्वयन की वित्त विभाग से सहमति हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने निर्देशित करते हुए अन्य बिन्दुओं की सम्पुष्टि की गई।
- विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक, दिनांक 18.09.2018 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : सूचना ग्रहण किया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

- विश्वविद्यालयीन कुलपति, शिक्षकों एवं अधिकारियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम दिनांक 01.01.2016 से सातवाँ वेतनमान लागू करने के संबंध में।
निर्णय : छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 2-1/18/38-1 दिनांक 26.09.2018 में भारत शासन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के परिपत्र क्र. 1-7/2015-U.II (1) नई दिल्ली दिनांक 02 नवम्बर 2017 तथा उत्तरवर्ती शुद्धिपत्र दिनांक 8 नवम्बर 2017 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का परिपत्र F.No. 23-4/2017(PS) दिनांक 31 जनवरी 2018 के तारतम्य में उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारियों तथा विश्वविद्यालयों में कार्यरत कुलपति, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, सहायक ग्रंथपाल तथा संचालक/सहायक संचालक शारीरिक शिक्षा के लिए दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृति प्रदान की गई साथ ही एरियर्स की गणना कर प्रस्ताव शासन को शीघ्र भेजने हेतु अनुमोदन किया गया।

4. राज्य शासन के अधीन कार्यरत निगम/मंडल/आयोग/अर्द्धशासकीय संस्थाओं तथा शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों को वेतन पुनरीक्षण के अन्तर्गत बकाया वेतन का भुगतान के संबंध में।
निर्णय : पुनरीक्षित (सातवाँ वेतनमान) वेतन भुगतान की शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण विचारार्थ पुनः प्रस्तुत किया जाए।

पं. सुन्दरलाल शर्मा ग्रंथालय से प्राप्त प्रस्ताव :-

5. ग्रंथालय समिति में कार्यपरिषद् श्रेणी से एक सदस्य की नियुक्ति के संबंध में।
निर्णय : ग्रंथालय समिति में कार्यपरिषद् श्रेणी से एक सदस्य डॉ. एस.के. चटर्जी, कार्यपरिषद् सदस्य एवं प्राचार्य, शास. वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महावि. महासमुंद के नाम का अनुमोदन किया गया।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

6. सत्र 2017-18 के Result Processing के कार्य का देयक भुगतान एवं सत्र 2018-19 हेतु End-to-End कार्य के लिए

(i) सत्र 2017-18 के रिजल्ट प्रोसेसिंग का कार्य संपन्न हो चुका है एवं कंपनी एन.सी.सी. एफ अर्थात् राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (भारत सरकार का उपक्रम) कांके रोड, राँची ने इस कार्य हेतु रु. 25,60,889=00 (अक्षरी पच्चीस लाख साठ हजार आठ सौ नवासी मात्र) जीएसटी सहित भुगतान हेतु देयक प्रस्तुत किया है। अतः संबंधित फर्म को उक्त राशि भुगतान करने के लिये कार्य कार्यपरिषद् के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय : भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

(ii) सत्र 2018-19 के लिये End to End Exam कार्य हेतु Pre & Post Examination कार्यों की प्रणाली सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

7. विश्वविद्यालय परिसर में भवनों के साफ-सफाई व्यवस्था के संबंध में।

निर्णय : वर्तमान में विश्वविद्यालय परिसर में भवनों के साफ-सफाई व्यवस्था का कार्य कर रही एजेंसी New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, "RAJAT SANKUL" Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur का कार्यकाल संतोषजनक होने के कारण वि.वि. द्वारा पूर्व में जारी निविदा के शर्तों/जानकारी के कण्डिका 31 एवं साफ-सफाई कार्य हेतु किये गये अनुबंध के कण्डिका 24 के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ-सफाई कार्य हेतु एक वर्ष के लिये (दिनांक 01.11.2018 से 31.10.2019 तक) कार्यकाल बढ़ाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

8. दिव्यांगता अध्ययन केन्द्र के लिए भवन निर्माण हेतु आर्किटेक की सेवाएं लेने के संबंध में।

निर्णय : दिव्यांगता अध्ययन केन्द्र हेतु भवन-निर्माण के लिए आर्किटेक्ट Shrivastava Bagrecha & Associates Raipur की सेवाएँ लेने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

9. जी.एस.टी. की बैठक में उपस्थित होने के संबंध में जानकारी, की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : कुलसचिव द्वारा दिनांक 25.09.2018 को वस्तु एवं सेवाकर आसूचना महानिदेशालय, रायपुर जोनल इकाई, रियो मॉल, चौथी मंजिल, लालपुर, धमतरी रोड, रायपुर (छ.ग.) में उपस्थित होकर दर्ज कराए गए बयान की सूचना ग्रहण की गई तथा इस संबंध में सी.ए. की सेवाएं लेने का निर्णय लिया गया।


पूरक विषयसूची


1. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.10.2018 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।
निर्णय : कार्यवृत्त के बिन्दु क्र. 06 को छोड़कर शेष अन्य बिन्दुओं को अनुमोदित किया गया।
2. छत्तीसगढ़ कला एवं संस्कृति म्यूजियम (Heritage Museum विरासत संग्रहालय) की स्थापना एवं प्रस्ताव के संबंध में।
निर्णय : संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रस्ताव भेजने हेतु अनुमोदन किया गया एवं तदनुसार 2019-20 के बजट में प्रावधान करने हेतु निर्देशित किया गया।
3. रसायन अध्ययनशाला के लिये Electrochemical Instrument सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में।
निर्णय : विस्तृत विवरण सहित प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।
4. पी-एच.डी. उपाधि के अनुमोदन के संबंध में।
निर्णय : विभिन्न संकायों में 313 शोधार्थियों को पी-एच.डी. उपाधि हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 02.06.2017 से 12.10.2018 तक (अधिसूचना क्रमांक 2839 से 3151 तक) का अनुमोदन किया गया।
5. विश्वविद्यालय परिसर में 'संत सदाराम सिंधी अध्ययन केन्द्र' की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाने की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : निदेशक, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद्, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने की सूचना ग्रहण की गई।
6. डॉ. व्यास नारायण दुबे, सेवानिवृत्त प्रोफेसर के निलंबन अवधि को सेवाकाल मान्य किये जाने के संबंध में विचार करना।
निर्णय : विश्वविद्यालय द्वारा 90 प्रतिशत प्रत्याशित पेंशन हेतु जारी आदेश का अनुमोदन किया गया एवं निलंबन अवधि को सेवाकाल मान्य किये जाने के संबंध में प्रकरण पुनः कार्यपरिषद् में रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।
7. छ.ग. शासन के वित्त निर्देश 35/2017 के अनुसार छ.ग. पुनरीक्षण नियम 2017 राज्य शासन की सेवाओं के विभिन्न पदों पर एकमुश्त संविदा वेतन के निर्धारण के संबंध में विचार करना।
निर्णय : छ.ग. पुनरीक्षित वेतन संरचना 2017 के अनुसार संविदा वेतन की स्वीकृति एवं वित्त निर्देश 35/2017 को अंगीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया तथा व्यय-भार की स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण

01. भू-विज्ञान एवम् जल संसाधन प्रबंधन अध्ययन शाला में PG Diploma in Remote Sensing and GIS पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की सूचना ग्रहण की गई।
02. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय और केन्द्रीय भूजल परिषद् के बीच MoU के अन्तर्गत नए अकादमिक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।
03. डॉ. (श्रीमती) राधारानी साहू, सलाहकार, सिकल सेल संस्थान, रायपुर को मनोविज्ञान अध्ययनशाला में शैक्षणिक पद पर प्रतिनियुक्ति के संबंध में।
निर्णय : विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पद पर प्रतिनियुक्ति का प्रावधान नहीं होने के कारण प्रस्ताव को अमान्य किया गया।
04. डॉ. हेमंत शर्मा, कनिष्ठ अधीक्षक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में कार्यभार ग्रहण करने की सूचना ग्रहण करना।
निर्णय : कार्यभार ग्रहण करने की सूचना ग्रहण किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक: 7468 / अका. / का.प. / 2018
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 30/10/2018

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला / समस्त विभागीय अधिकारी,
4. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् / जनसंपर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
5. वित्त नियंत्रक / प्रभारी, अंकेक्षण,
6. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)